

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(9)न्याय/2019

जयपुर दिनांक: 23.11.2022

—:आज्ञा:—


न्यायालय प्रकरणों, शो-कॉज नोटिस तथा प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने आदि कार्यों के लिए इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.02.2020 के द्वारा विधि प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस विधि प्रकोष्ठ में निम्न अधिकारियों का पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

1. श्री सुनील राघव, संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ।
2. श्री सीताराम विजय, उप विधि परामर्शी, विधि (प्रकोष्ठ-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्री रामशरण मोदी, उप विधि परामर्शी कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री राकेश कमल कुण्डारा, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना संगठन), शासन सचिवालय, जयपुर।
5. कायनात खान, विधि रचनाकार विधि (प्रकोष्ठ-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

डॉ. लता श्रीमाली, उप शासन सचिव (उप निदेशक विधि, वादकरण) अपने कार्य (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्बन्धित समस्त प्रशासनिक व वित्तीय एवं अन्य कार्य) के अतिरिक्त विधि प्रकोष्ठ की पत्रावलियों की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने एवं प्रकोष्ठ के साथ समन्वय का कार्य करेंगी।

सर्व श्री राजेश आचार्य विधि रचना अधिकारी एवं निकुंज दीक्षित, वरिष्ठ विधि रचनाकार उक्त कार्य से संबंधित समस्त पत्रावलियां मय प्रकरणों की वस्तुस्थिति और तथ्यात्मक टिप्पणी के साथ सम्भलवाने की कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

आज्ञा से,




(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.सं.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना तुरन्त प्रभाव करना सुनिश्चित करें।
5. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव